

सूचना सं०-सी०एच० 530/गार्डनर ट्रेनिंग/19-20 दिनांक 19 अगस्त-2019
कार्यालय मुख्य उद्यान विशेषज्ञ,औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र
मलिहाबाद लखनऊ।

माली प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रण

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र मलिहाबाद,लखनऊ पर माली प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार किए जानें की अन्तिम तिथि 15.9.2019 (सायं 5.00बजे तक है) अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पूर्ण न होने की दशा में ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

विवरण:-

विभाग का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि
1	2	3	4
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ०प्र०	माली प्रशिक्षण	200	एक माह (200घंटे)

सामान्य निर्देश:-

- 1-अभ्यर्थी की आयु 01जुलाई 2019 को 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- 2-आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में अनुमन्य छूट प्रदान की जायेगी।
- 3-माली प्रशिक्षण हेतु 5वीं पास होना आवश्यक है। (अधिक शिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी)
- 4-प्रशिक्षणार्थीगण आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट पत्राचार का पता लिखा 20X23सेमी० साइज का लिफाफा रू०5.00का टिकट लगा हुआ अवश्य भेजें।
- 5-आवेदन पत्र मुख्य उद्यान विशेषज्ञ,औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र मलिहाबाद,लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक/सीधे कार्यालय मे उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
- 6-आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- 7-आवेदन पत्र में कोई त्रुटि/अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8-प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा।
- 9-प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्र पर एक बार आने-जाने हेतु किराया दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा निःशुल्क की जायेगी।
- 10-अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमन्य प्रवेश में आरक्षण देय होगा।
- 11-प्रत्येक सत्र के निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्रों की संख्या होने पर अभ्यर्थियों का चयन पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जायेगा।
- 12-यह प्रशिक्षण बागवानी के प्रति रुचि पैदा करने तथा स्वयं रोजगार हेतु पौधशाला स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना मात्र है। प्रशिक्षण के उपरान्त विभाग सरकारी सेवा देने हेतु बाध्य नहीं है।
- 13-आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अथवा अभ्यर्थी फोटो सहित सामान्य बायोडेटा(ना,पिता का नाम,स्थाई पता,जन्मतिथि,जाति,आधार लं०आदि) पर भी आवेदन कर सकते हैं।

(डा० राजीव कुमार वर्मा)
मुख्य उद्यान विशेषज्ञ
मलिहाबाद,लखनऊ।

माली प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम
फोटोग्राफ

विज्ञापन संख्या—

1—अभ्यर्थी का नाम—(हिन्दी में)-----

अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर)-----

2—पिता /पति/माता का नाम-----

3—स्थाई पता-----

4—पत्र व्यवहार का पता—(मोबाइल नं०सहित)-----

5—जन्मतिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें—

6—श्रेणी— (सामान्य/एस०सी०/एस०टी)—(प्रमाण पत्र संलग्न करें)-----

7—राष्ट्रीयता-----

8—आधार नं०-----

9—शैक्षिक योग्यता-----

क्रमांक	परीक्षा का नाम/ बोर्ड/संस्था	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
1	2	3	4	5	6

प्रमाण पत्र—

1—उक्त सभी जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सही हैं।

2—मैं प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण केन्द्र / छात्रावास के नियमों का पूर्णतयः पालन करने तथा अनुशासन में रहने का बचत देता/देती हूँ।

3—मैंने यह भी समझ लिया है,कि प्रशिक्षण के बाद मुझे राजकीय सेवा देने के लिए विभाग अथवा शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी,मैं यह प्रशिक्षण अपनी रुचि से ले रहा/रही हूँ।

4—उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत एवं असत्य पाई जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

एवं पूर्ण पता—